न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 84 / 2022

अनवान : –

1. मन्शाराम पुत्र राऊराम जाति मेघवाल निवासी जबरासर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. रामचन्द्र पुत्र रामरख जाति मेघवाल साकिन रायसिंहपुरा तहसील नोहर हाल निवास जबरासर तहसील नोहर।
2. कृष्ण कुमार पुत्र रामरख जाति मेघवाल साकिन रायसिंहपुरा तहसील नोहर हाल निवास जबरासर तहसील नोहर।
3. बृजलाल पुत्र रामरख जाति मेघवाल साकिन रायसिंहपुरा तहसील नोहर हाल निवास जबरासर तहसील नोहर।
4. ज्यानादेवी पुत्री राऊराम पत्नी काशीराम जाति मेघवाल निवासी उज्जलवास तहसील नोहर हाल निवास जबरासर तहसील नोहर।
5. कृष्णकुमार पुत्र निमा पुत्री राऊराम पत्नी पुराराम जाति मेघवाल निवासी सिरंगसर तहसील नोहर।
6. मानसिंह पुत्र निमा पुत्री राऊराम पत्नी पुराराम जाति मेघवाल निवासी सिरंगसर तहसील नोहर।
7. गुडडी पुत्री निमा पत्नी जैसाराम जाति मेघवाल निवासी सिरंगसर तहसील नोहर हाल पक्का सारणा तहसील हनुमानगढ़।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
9. उप पंजीयक कार्यालय खुंईया तहसील नोहर।
10. पंजाब नेशनल बैंक शाखा मन्दरपुरा।
11. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा खुंईया।

– प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955</u>

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक 12/03/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के साबिका खसरा न0 199 की 14 बिघा 3 बिस्वा भूमि व खसरा न0 345 की 19 बिघा 18 बिस्वा व खसरा न0 194 मिन की 22.08 बीघा भूमि थी। उक्त भूमि नये खसरा में हाल खसरा न0 803 की 19 बिघा 18 बिस्वा व खसरा न0 845 की 36 बिघा 9 बिस्वा भूमि में परिवर्तित व पैमुद हो चुकी है। वादी को रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खसरा 844 की 17 बिघा 12 बिस्वा भूमि सन 1977 को आवंटित की थी उक्त आवंटन वादी के स्वयं के नाम से हुआ था तथा वादी अकेला उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार हुआ।

उक्त कृषि भूमि नये नाम में खसरा न0 803 की 5.0370 हैक्ट भूमि खसरा न0 844/2 की 4.4510 हैक्ट भूमि खसरा न0 845 की 8.2440 हैक्ट भूमि कुल तादादी 18.3720 हैक्ट भूमि मे परिवर्तित व पैमूद हो चुकी है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 7 पांचो मुश्तरका खातेदार काश्तकार है वादी अकेली 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 अकेली 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 7 तीनों बहिस्सा बराबर 1/3 हिस्सा के मुश्तरका खातेदार काश्तकार है तथा मृतक चावली व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 का कोई हक हिस्सा नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:33:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

वादी के बाल्यकाल मे ही वादी के पिता राउराम का देहान्त हो गया था वादी की माता चावली ने रामरख से करेवा कर लिया था रामरख से चावली के नुत्फे से प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 पैदा हुआ उनका राउराम की चल व अचल सम्पति में कोई हक हिस्सा नही है। परन्तु प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 ने उक्त वाद भूमि का दिनांक 5.12.78 को निर्णय व डिक्री करवा कर अपने नाम दर्ज करवा ली। अतः उक्त वाद ग्रस्त भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 7 पांचो मुश्तरका खातेदार काश्तकार है जिसमें वादी अकेला 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 अकेली 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 7 तीनों बहिस्सा बराबर 1/3 हिस्सा के मुश्तरका खातेदार काश्तकार है तथा तथा न्यायालय द्वारा वाद संख्या 477/1977 निर्णय व डिक्री दिनांक 5.12.78 अनवानी रामचन्द्र बनाम मन्शाराम में वारित आदेश को वादी के हकूक क खिलफ शुन्य व प्रभावहीन व अकृत घोषित करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि का खाता व लगान अलग तकसीम करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की कब्जा काश्त के अनुसार अपना खाता व लगान अलग कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी व प्रतिवादीगण ने न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा इस आशय का पेश किया की रोही मौजा चक जबरासर तहसील नोहर के खाता संख्या 391/391 के खसरा न0 803 की 5.0370 हैक्ट, खसरा न0 844/2 की 4.4510 हैक्ट, खसरा न0 845 की 9.2420 हैक्ट भूमि का बाहमी बंटवारा कर लिया है मुताबिक बंटवारा निम्नानुसार है–
रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता संख्या 391/391 के खसरा संख्या 803 की 5.0370 हैक्ट भूमि वादी के पास रहेगी तथा रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता संख्या 391/391 के खसरा न0 844/2 की 4.4510 हैक्ट, खसरा न0 845 की 9.2440 हैक्ट कुल 13.695 हैक्ट भूमि रहेगी एवं मृतक चावली पत्नी रामरख का नाम कलमजन किया जावे एवं वादी के पिता का नाम रामरख की बजाय राऊराम नाम दर्ज करवा सकेंगे। प्रतिवादी संख्या 4 ज्याना देवी व प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 7 कृष्ण कुमार, मानसिंह, गुडडी ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष मे त्याग कर दिया है। यदि वादी अपने पिता का नाम रामरख के स्थान पर राऊराम दर्ज करवाता है तो उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। उक्त वाद भूमि बाबत भविष्य में कोई पक्षकार दावा पेश नही करेगा। मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किया जाता है तो हम पक्षकारान को कोई ऐतराज नही है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का राजीनामा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:33:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि बाबत पक्षकारान का राजीनामा हो गया है मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किया जाता है तो हम पक्षकारान को कोई ऐतराज नही है। पक्षकारान द्वारा राजीनामा पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता संख्या 391/391 की कुल 18.7320 हैक्ट भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1. 2 व 3 व चावली प्रत्येक के 1/5 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। पक्षकारान द्वारा राजीनामा पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तो हम पक्षकारान को कोई ऐतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं पक्षकारान के राजीनामा के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता संख्या 391/391 के खसरा संख्या 803 की 5. 0370 हैक्ट भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता संख्या 391/391 के खसरा न0 844/2 की 4.4510 हैक्ट, खसरा न0 845 की 9.2440 हैक्ट कुल 13.695 हैक्ट भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं मृतक चावली पत्नी रामरख का नाम कलमजन किया जाकार एवं वादी के पिता का नाम रामरख की बजाय राऊराम दुरूस्त किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12/03/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:33:06 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 84/2022

अनवान : –

1. मन्शाराम पुत्र राऊराम जाति मेघवाल निवासी जबरासर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. रामचन्द्र पुत्र रामरख जाति मेघवाल साकिन रायसिंहपुरा तहसील नोहर हाल निवास जबरासर तहसील नोहर।
2. कृष्ण कुमार पुत्र रामरख जाति मेघवाल साकिन रायसिंहपुरा तहसील नोहर हाल निवास जबरासर तहसील नोहर।
3. बृजलाल पुत्र रामरख जाति मेघवाल साकिन रायसिंहपुरा तहसील नोहर हाल निवास जबरासर तहसील नोहर।
4. ज्यानादेवी पुत्री राऊराम पत्नी काशीराम जाति मेघवाल निवासी उज्जलवास तहसील नोहर हाल निवास जबरासर तहसील नोहर।
5. कृष्णकुमार पुत्र निमा पुत्री राऊराम पत्नी पुराराम जाति मेघवाल निवासी सिरंगसर तहसील नोहर।
6. मानसिंह पुत्र निमा पुत्री राऊराम पत्नी पुराराम जाति मेघवाल निवासी सिरंगसर तहसील नोहर।
7. गुडडी पुत्री निमा पत्नी जैसाराम जाति मेघवाल निवासी सिरंगसर तहसील नोहर हाल पक्का सारणा तहसील हनुमानगढ़।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
9. उप पंजीयक कार्यालय खुंईया तहसील नोहर।
10. पंजाब नेशनल बैंक शाखा मन्दरपुरा।
11. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा खुंईया।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 84 सन 2022 निर्णय दिनांक –12/03/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता संख्या 391/391 के खसरा संख्या 803 की 5.0370 हैक्ट भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता संख्या 391/391 के खसरा न0 844/2 की 4.4510 हैक्ट, खसरा न0 845 की 9.2440 हैक्ट कुल 13.695 हैक्ट भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं मृतक चावली पत्नी रामरख का नाम कलमजन किया जाकार एवं वादी के पिता का नाम रामरख की बजाय राऊराम दुरूस्त किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर [illegible] उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12/03/24 [illegible] एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:33:06 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर